भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1017**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 दिसम्बर, 2023/17 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कमी

1017. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सभी प्रकार के उर्वरकों का मांग की अपेक्षा आधी मात्रा में ही उत्पादन होता है और शेष मांग को वर्ष 2021-22 और 2022-23 (अब तक) और उसके पहले भी आयात से पूरा किया जाता था;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा देश में उर्वरकों की कमी के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार, सभी प्रकार के उर्वरकों के संबंध में आत्मनिर्भर बनने हेतु स्थानीय उत्पादन में वृद्धि हेतु कदम उठा रही है;
(ड.) क्या सरकार ने देश में किसानों द्वारा अन्य उर्वरकों का कम उपयोग करने की प्रवत्ति को दूर करने के लिए वर्तमान पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति की समीक्षा की है/समीक्षा कर रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) और (ख): किसानों को उर्वरक मुख्य रूप से स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। तथापि, मांग-आपूर्ति के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। 2019-20 से 2021-22, 2022-23 के दौरान देश में सभी उर्वरकों के कुल उत्पादन, सभी उर्वरकों की कुल मांग और सभी उर्वरकों के कुल आयात का विवरण निम्नानुसार है:

2019-20 से 2021-22, 2022-23 के दौरान सभी उर्वरकों का कुल उत्पादन, सभी उर्वरकों की कुल मांग और सभी उर्वरकों का कुल आयात

(आंकड़े 'एलएमटी' में)

वर्ष	**सभी उर्वरकों का कुल उत्पादन**	**सभी उर्वरकों की कुल मांग**	**सभी उर्वरकों का कुल आयात**
2019-20	425.95	581.50	184.09
2020-21	433.68	601.91	203.27
2021-22	435.95	640.27	182.28
2022-23	485.29	628.26	187.81

(घ) से (च): 2021-22 और 2022-23 के दौरान दी गई रिपोर्ट के अनुसार देश में उर्वरकों का कोई अभाव नहीं है। यूरिया उर्वरक के संबंध में, भारत सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयों को स्थापित किया गया है। ये मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पश्चिम बंगाल में पानागढ़ यूरिया इकाई; चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की राजस्थान में गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई; रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की तेलंगाना में रामागुण्डम यूरिया इकाई; और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी हैं। इन इकाइयों में प्रत्येक इकाई की यूरिया उत्पादन की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। अत: इन इकाइयों ने मिलकर देश की वर्तमान स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटी प्रतिवर्ष की वृद्धि की है जो वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए है।

इसके अतिरिक्त, कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से 12.7 एलएमटी प्रतिवर्ष का नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके ओडिशा में एफसीआईएल की तलचर इकाई का पुनरुद्धार करने के लिए 28 अप्रैल,2021 को एक विशेष नीति अधिसूचित की गई है।

सरकार ने अपने उद्देश्यों में से एक स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य के साथ 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 के परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में यूरिया का 20-25 एलएमटीपीए अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

जहां तक पीएंडके उर्वरक का संबंध है, सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई राजसहायता की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। इस नीति के तहत, अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार, एनबीएस स्कीम के तहत पीएंडके उर्वरकों के लिए नवीनतम राजसहायता दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**पोषकतत्व**	**रबी 2023-24 के लिए एनबीएस दरें (पोषकतत्व पर रु. प्रति कि.ग्रा.) (1.10.2023 से 31.3.2024)**
1.	एन	47.02
2.	पी	20.82
3.	के	2.38
4.	एस	1.89

प्रत्येक मौसम में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत से पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। आवश्यकता के आकलन के पश्चात, डीएएंडएफडब्ल्यू उर्वरकों की माह-वार आवश्यकता का अनुमान लगाता है;

(ii) डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा प्रदत्त माह-वार और राज्य-वार आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त/यथेष्ट मात्राओं में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है;

(iii) पूरे देश में राजसहायता प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जा रही है;

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे रेलवे रेकों के लिए समय पर मांगपत्र देकर आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) तथा उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरक भेजने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(vi) यूरिया के मामले में मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को समय पर आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पीएंडके उर्वरकों के मामले में, आयात मुक्त एवं सामान्य लाइसेंस के तहत आते हैं और उर्वरक कंपनियां अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर इन उर्वरकों का आयात करती हैं।

*****